M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार/2026–27/2225 दिनांक : 12.11.2026
16

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 10.09.2026

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S PUNA IRON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) **CONTECT PERSON** - RAMAKANT PANDEY : 9090871100 G-MAIL : comredgoldi87@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED SOLAR LIGHT ON 6M HEIGHT POLE	**171864**	**30936**	**202800**	**171864**	**8593**	**32482**	**212939**
2	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED SOLAR LIGHT ON 6M HEIGHT POLE	**182130**	**32783**	**214913**	**182130**	**9107**	**34423**	**225659**
3	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 5** WITH ONE 40 WATT LED SOLAR LIGHT ON 6M HEIGHT POLE	**153966**	**27714**	**181680**	**153966**	**7698**	**29100**	**190764**
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**185344**	**33362**	**218706**	**185344**	**9267**	**35030**	**229641**
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	**181923**	**32746**	**214669**	**181923**	**9096**	**34383**	**225403**
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**199100**	**35838**	**234938**	**199100**	**9955**	**37630**	**246685**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **21.10.2026** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **20.01.2027)** तक लागू रहेंगी।

----2

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

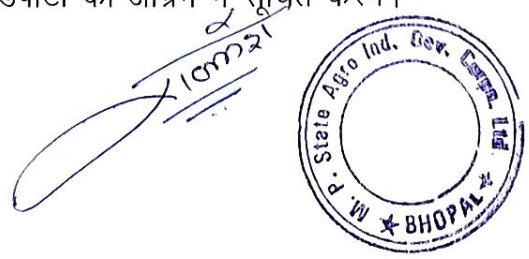

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D / RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई.टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 10.09.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

8. **वारण्टी** : स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 10.09.2026 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

10/09/21

प्रबंधक (विपणन)

2226
16-11-26

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. लेखा शाखा, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PUNA IRON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS** : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP)

10/09/21

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय–स्वागत द्वार / 2026–27 / 2227 दिनांक : 12.11.2026
16

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 10.09.2026

निगम द्वारा प्री–फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल–1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S PALAK AGRO INDUSTRIES, ADDRESS - G FLOOR PLOT NO. 10 KHASRA NUMBER 273, GRAM GENHUKHEDA, KOLAR ROAD, BHOPAL **CONTECT PERSON -** MR. YASH NAGAR, MOB - 9425458731 G-MAIL : Yashnagar0310@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 1** WITHOUT SOLAR LIGHT	**125201**	**22536**	**147737**	**125201**	**6260**	**23663**	**155124**
2	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 3** WITH ONE 40 WATT LED SOLAR LIGHT ON 6M HEIGHT POLE	**171864**	**30936**	**202800**	**171864**	**8593**	**32482**	**212939**
3	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 4** WITH ONE 40 WATT LED SOLAR LIGHT ON 6M HEIGHT POLE	**182130**	**32783**	**214913**	**182130**	**9107**	**34423**	**225659**
4	PRE FABRICATED BUS SELTER **MODEL 5** WITH ONE 40 WATT LED SOLAR LIGHT ON 6M HEIGHT POLE	**153966**	**27714**	**181680**	**153966**	**7698**	**29100**	**190764**
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR **MODEL 2** WITHOUT SOLAR LIGHT	**181923**	**32746**	**214669**	**181923**	**9096**	**34383**	**225403**
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR **MODEL 3** WITH SOLAR LIGHT	**199100**	**35838**	**234938**	**199100**	**9955**	**37630**	**246685**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **<u>दरों की प्रभावशीलता</u>** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **21.10.2026** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **20.01.2027)** तक लागू रहेंगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

----2

2. **आदेश की प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(द) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---- 3

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। **निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर. सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे।** गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी. ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता की थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नेशनल एग्रीडियेशन बोर्ड फॉर सर्टीफिकेशन बाडीज़ (NABCB) द्वारा अधिकृत शासकीय संस्था जैसे – शासकीय एजेंसियां जैसे – DGS&D /RITES / CIPET / EIL / IR-Class / PDIL / EIC / CIPET / ICAR - CIAE या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय तकनीकी विभाग/संस्थान, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, शासकीय आई. टी.आई. अथवा शासकीय एमएसएमई (MSME) प्रशिक्षण केन्द्र आदि की ही मान्य की जावेगी।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड :** सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 10.09.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

---- 4

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

8. **वारण्टी** : स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 10.09.2026 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2228 / 16-11-26

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. निज सहायक कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. निज सहायक, कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. लेखा शाखा, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PALAK AGRO INDUSTRIES, ADDRESS** - G FLOOR PLOT NO. 10 KHASRA NUMBER 273, GRAM GENHUKHEDA, KOLAR ROAD, BHOPAL

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

प्रबंधक (विपणन)